



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

क्र/चार/रा.वि./न.नि./2026/९२०

भिलाई दिनांक २३/०६/२०२६

## // निविदा/ऑफर आमंत्रण सूचना //

“नगर पालिक निगम, भिलाई, शिवाजी नगर जोन-04 क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र.-51 श.वी.ना.सिंह नगर स्थित पं. दीनदयाल मिनी स्टेडियम खेल परिसर में भूतल पर निर्मित-32 एवं प्रथम तल पर निर्मित-28, कुल-60 दुकानों को अस्थाई किरायेदारी में दिए जाने हेतु” इच्छुक व्यक्तियों से तीन लिफाफा पद्धति से बंद लिफाफे में दिनांक- २३.०६.२०२६ कार्यालयीन समय तक ऑफर आमंत्रित की जाती है। अस्थाई किरायेदारी हेतु उपलब्ध दुकानों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	दुकान का प्रकार	प्रतिशत अनुसार वर्ग हेतु कुल दुकानों की संख्या	निर्मित दुकान का क्षेत्रफल (व.मी./प्रति दुकान)	मसिक किराया (रु. में)	अमानत राशि (प्रति दुकान/रु. में)
1	भूतल 'ए' टाईप	16 दुकान	52.15 व.मी.	7866.00	47194.00
2	भूतल 'बी' टाईप	6 दुकान	28.70 व.मी.	4329.00	25924.00
3	भूतल 'सी' टाईप	8 दुकान	9.60 व.मी.	1448.00	8688.00
4	भूतल 'ए-1' टाईप	2 दुकान	41.65 व.मी.	6282.00	37692.00
6	प्रथम तल 'ए' टाईप	20 दुकान	27.30 व.मी.	3776.00	22662.00
7	प्रथम तल 'बी' टाईप	4 दुकान	25.15 व.मी.	3479.00	20874.00
8	प्रथम तल 'सी' टाईप	4 दुकान	11.20 व.मी.	1549.00	9295.00
योग :-		60 दुकान			

लिफाफा “आयुक्त नगर पालिक निगम आकाश गंगा सुपेला जी.ई. रोड भिलाई पिन कोड-490023” पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर डाक के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। आवेदन/लिफाफा सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जावेगा। लिफाफा निर्धारित तिथि के उपरांत अगले कार्यदिवस पर ऑफरकर्ताओ/निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। लिफाफे के उपर आवेदित दुकान का प्रकार (टाईप), दुकान का क्रमांक, दुकान का तल (भूतल/प्रथमतल) के साथ-साथ आवेदन का वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क राशि रु. 100/- मात्र जमा कर कार्यालयीन समय में राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम आकाश गंगा सुपेला जी. ई. रोड भिलाई में निर्धारित प्रारूप में आवेदन तथा नियम शर्तों की प्रति प्राप्त की जा सकती है। जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक २३.०६.२०२६ है। आमंत्रित ऑफर आमंत्रण सूचना की विस्तृत एवं वर्गवार दुकानों के आरक्षण की जानकारी नगर पालिक निगम, भिलाई के वेब साईट <https://bhilainagarnigam.com/> एवं संचालनालय के वेब साईट [nad.cg.gov.in](http://nad.cg.gov.in) से दिनांक २३.०६.२०२६ तक डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त  
नगरपालिक निगम  
भिलाई



# ॥ कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई ॥

## —: दुकान आबंटन की नियम व शर्तें :-

—00—

नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा पंडित दीनदयाल उपध्याय मिनी स्टेडियम, खुर्सीपार में निर्मित दुकानों का आबंटन ऑफसेट मूल्य पर निर्धारित किराया राशि पर उच्चतम ऑफरकर्ता को अस्थाई किरायेदारी पर सार्वजनिक घोषित विक्रय के द्वारा बंद लिफाफा में ऑफर आमंत्रित किये जाने हेतु आबंटन के नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. निर्मित दुकानों की संख्या भूतल में 32 एवं प्रथम तल में 28 दुकाने हैं, जिसका साइज अलग अलग है। जो निविदा पत्र में दर्शित है।
2. दुकाने अस्थाई रूप से किराये पर न्यूनतम 11 माह के लिए दिया जावेगा। अमानत राशि के रूप में 6 माह का किराया जमा रखा जावेगा।
3. निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकार को निर्धारित तीन लिफाफा पद्धति के माध्यम से ऑफर आमंत्रित किया जाना होगा। लिफाफा 'अ' में निविदाकार द्वारा अपने दस्तावेज सहित एफ.डी.आर. तथा लिफाफा 'ब' में आवेदन सह ऑफर दर भरकर पृथक से बड़े लिफाफा 'स' में दोनो लिफाफे (अ एवं ब) को रखकर "आयुक्त नगर पालिक निगम आकाश गंगा सुपेला जी.ई. रोड भिलाई पिन कोड-490023" के पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करना होगा। आवेदन/लिफाफा सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. निविदाकार द्वारा प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के उपर आवेदित दुकान का प्रकार (टाईप), दुकान का क्रमांक, दुकान का तल के साथ-साथ आवेदन का वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
5. निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को प्रत्येक दुकान के लिए पृथक-पृथक अमानत राशि निर्धारित किराया के 6 माह का किराया राशि एफ.डी.आर. के द्वारा जमा करना अनिवार्य है। निविदा के पश्चात प्रथम द्वितीय अधिकतम ऑफरकर्ता के द्वारा जमा अमानत राशि को रोककर शेष निविदाकारों को अमानत राशि वापस कर दी जावेगी।
6. प्रथम अधिकतम ऑफर राशि की स्वीकृति की सूचना उपरांत निर्धारित समय सीमा पर ऑफरकर्ता द्वारा किराया अनुबंध न किये जाने पर द्वितीय अधिकतम ऑफरकर्ता को किराया अनुबंध किये जाने ऑफर किया जा सकेगा, परंतु द्वितीय अधिकतम ऑफरकर्ता से किराया अनुबंध करने निगम बाध्य नहीं होगा। ऐसे स्थिति में द्वितीय ऑफरकर्ता की अमानत राशि वापस कर दी जावेगी। जमा अमानत राशि अंतिम मासिक किराये व अन्य कर की राशि जमा कराए जाने के उपरांत अनुबंध समाप्ति की स्थिति में आबंटिती द्वारा आवेदन किये जाने पर वापसी योग्य होगा, अथवा अनुबंध अवधि के शेष बकाया राशि की कटौती कर अमानत राशि की वापसी की जा सकेगी।
7. यह कि उच्चतम ऑफर राशि की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार नगर पालिक निगम भिलाई में निहित होगा। नगर निगम उच्चतम ऑफर राशि को स्वीकृत करने बाध्य होगा।
8. यह कि, निर्धारित समय अवधि में किराया अनुबंध न कराये जाने पर अमानत राशि राजसात करते हुए ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऑफर को निरस्त किया जावेगा।
9. यह कि आबंटित दुकान पर स्वामित्व नगर निगम भिलाई का रहेगा, दुकान केवल किराये पर दी जावेगी। आबंटिती (किरायेदार) को दुकान में स्वत्वाधिकार प्राप्त नहीं होगा। उसे दुकान में नामजाद व्यवसाय का हक प्राप्त होगा। दुकान को किसी प्रकार बय बक्शीस या रहन नहीं करायेगा, तथा उस पर या उसके जमानत पर किसी प्रकार का सुविधा निगम के पूर्व अनुमति के बिना प्राप्त नहीं करेगा।
10. दुकानों की किरायेदारी 11 माह पश्चात प्रत्येक कालावधि के लिए प्रचलित किराये का 3 प्रतिशत वृद्धि के साथ पुनः नवीन अनुबंध किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में किरायेदार को परिसर को खाली कर दुकान नगर निगम को सौंपना होगा।
11. दुकानों को किराये पर उपलब्ध कराने के संबंध में किरायेदार किसी भी प्रकार का कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा, तथा किरायेदार भविष्य के किरायेदारी के लिए दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
12. यह कि आबंटिती (किरायेदार) दुकान को कानून प्रतिबंधित कोई भी कार्य अथवा व्यापार करने के लिए उपयोग नहीं करेगा, जिसकी बाध्यता रहेगी।

क्रमशः .....//2//

13. यह कि, किराये पर आबंटित दुकान के बाहर बरामदा व सडक पर सामान नहीं रखेगा तथा आवागमन में किसी प्रकार अडचन व अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
14. यह कि किराये पर दुकान का आबंटन आबंटिती (किरायेदार) के पक्ष में उनके स्वयं के नाम पर नामजद व्यवसाय के लिए किया गया है। उन्हें उक्त दुकान पर उपकिरायेदार बनाने का अधिकार नहीं रहेगा।
15. यह कि आबंटिती (किरायेदार) को किराये के दुकान में किसी भी प्रकार के रूपांतरण, बिना निगम की लिखित अनुमति लिए करने का अधिकार नहीं रहेगा। यदि अनुमति लिए बिना दुकान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन किये जाते हैं तो निगम को अधिकार होगा, कि आबंटिती (किरायेदार) का किराया अनुबंध समाप्त कर दे और इसी आधार पर दुकान से बेदखल कर दे।
16. यह कि, दुकान में विद्युत फीटिंग एवं विद्युत मीटर आबंटिती (किरायेदार) के स्वयं के व्यय से करना होगा। परंतु विद्युत अनापत्ति निगम से प्राप्त करना होगा।
17. यह कि, आबंटिती (किरायेदार) को अपने स्वयं के व्यय पर दुकान का वार्षिक साफ सफाई, रंगाई पोताई मरम्मत करना होगा।
18. यह कि, आबंटिती (किरायेदार) को किरायेदारी पर आबंटन क्षेत्रफल के दुकान में ही व्यवसाय अधिकार प्राप्त होगा। इससे अधिक क्षेत्र का उपयोग अन्याकाति माना जावेगा और वह बेदखली योग्य होगा।
19. यह कि, प्रत्येक माह दुकान का निर्धारित मासिक किराया की राशि उस माह की एक तारीख से 10 तारीख तक बतौर अग्रिम देय होगी। आबंटिती (किरायेदार) का दायित्व होगा, कि वह निगम कार्यालय में जाकर किराये की रकम जमा कर रसीद हासिल करे, नियत तिथि तक किराये की रकम का भुगतान नहीं करने पर उस रकम पर 10 प्रतिशत अधिभार शुल्क देय होगा।
20. यह कि दुकान का आबंटन एवं कब्जा माहवारी किरायेदारी पर किया गया है। हर अंग्रेजी माह के प्रथम तारीख से प्रारम्भ होकर उस माह के अंतिम तारीख को समाप्त होगा। किसी भी वर्ष में किसी भी तीन महीने का किराया लगातार बकाया रहने की स्थिति में किराया बकाया रहने के तारीख से किराया अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और नियमानुसार दुकान का रिक्त कब्जा निगम प्राप्त कर सकेगा।
21. यह कि आबंटिती (किरायेदार) को दुकान पर आरोपित निगम के सफाई कर (यूजर चार्जस), सामान्य जलकर, एवं अन्य कर जो नियमानुसार मासिक किराया के अतिरिक्त देय होगा।
22. यह कि, आरक्षित वर्ग के दुकानों के लिए आवेदक को सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही शिक्षित बेरोजगार होने के संबंध में 100/- रु. के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र एवं रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. यह कि आबंटिती (किरायेदार) के आबंटन अवधि में निगम के निर्देशों आदेशों का समुचित पालन करना होगा।
24. यह कि अनुबंध की एक या अनेक शर्तों पर उल्लघन होने पर किराया अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस देकर दुकान का रिक्त कब्जा प्राप्त कर सकेगा।
25. यह कि समय-समय पर शासन द्वारा नगर पालिक निगम, उपविधियों के तहत जारी दिशा निर्देश का पालन किया जावेगा तथा आबंटन एवं किराया अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम में प्रावधानित धाराओं के तहत भी कार्यवाही की जावेगी।
26. यह कि, उपरोक्त शर्तों के शब्दों, उनकी व्याख्या में कोई असंगति हो या उस पर मतभेद हो तो इस संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त  
नगरपालिक निगम  
भिलाई